भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2875

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त

2875. डॉ. निशिकान्त दुबेः

डॉ. विनोद कुमार बिंदः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री अरुण गोविलः

श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः

डॉ. राजेश मिश्राः

श्री भोजराज नागः

श्री प्रवीण पटेलः

श्री नव चरण माझीः

श्री बिप्लब कुमार देवः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त से लाभान्वित हुए किसानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-किसान योजना से देश के विशेषकर छत्तीसगढ़ के छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) किसान अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण की जांच किस प्रकार कर सकते हैं;

(घ) सरकार आधार सत्यापन और भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों का किस प्रकार समाधान कर रही है; और

(ङ) सीधी लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खेती योग्य भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी

2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी, 2025 को जारी की गई और 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 2019 में किये गये अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत संवितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, इस योजना ने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे जोखिम भरे लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं। पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य आकस्मिक खर्चों को भी पूरा कर रही है। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम-किसान वास्तव में छत्तीसगढ़ सहित हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है।

(ग): पीएम-किसान पोर्टल पर एक समर्पित 'किसान कॉर्नर' उपलब्ध है, जहाँ किसानों को उनकी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण की जाँच सहित कई सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। किसान अपने स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जा सकते हैं जहाँ वे अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, योजना के बड़े लाभार्थी आधार को देखते हुए, लाभार्थियों द्वारा उठाए गए सामान्य प्रश्नों और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए, एक आवाज-आधारित पीएम-किसान एआई चैटबॉट (किसान ई-मित्र) विकसित किया गया था। यह चैटबॉट किसानों के प्रश्नों का चौबीसों घंटे उनकी मूल भाषाओं में त्वरित, सटीक और स्पष्ट उत्तर देता है, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो जाती है। यह वेब, मोबाइल आदि सभी प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। किसान ईमित्र चैटबॉट वर्तमान में 11 भाषाओं- अंग्रेजी, हिंदी, ओडिया, तमिल, बंगाली, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी में कार्य करता है। अब तक 52 लाख से अधिक किसानों के 91 लाख से अधिक प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है।

(घ): पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। योजना के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को और न्यूनतम समय में अंतरित हो, भूमि सीडिंग, आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य

कर दिया गया है। इसके अलावा, डेटा सत्यापन की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम-किसान पोर्टल को यूआईडीएआई, पीएफएमएस और आयकर विभाग के साथ एकीकृत किया गया है ताकि लाभ भुगतान बिना देरी के अंतरित किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान अपनी आधार सीडिंग पूरी करें सरकार ने राज्य सरकारों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सहित बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) की सेवाएं भी ली हैं । लाभार्थियों को आधार सीडिंग पूरी करने का आग्रह करते हुये एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं।

(ङ): पीएम-किसान की 19वीं किस्त के अंतर्गत सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में जारी लाभ का जिलावार आंकड़ा निम्नानुसार है:

ज़िला	**लाभार्थियों की संख्या**	**वितरित राशि (करोड़ रुपए में)**
सीधी	1,29,301	28.36
सिंगरौली	1,38,341	30.06
शाहडोल	1,14,292	24.12

लो.स.अता.प्र.सं.2875

अनुबंध

पीएम-किसान की 19वीं किस्त का लाभ पाने वाले लाभार्थियों का राज्यवार विवरण

#	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	12,987
2	आंध्र प्रदेश	41,27,619
3	अरुणाचल प्रदेश	94,948
4	असम	20,87,406
5	बिहार	75,90,575
6	चंडीगढ़	-
7	छत्तीसगढ	25,94,151
8	दिल्ली	11,084
9	गोवा	6,381
10	गुजरात	51,34,410
11	हरियाणा	16,37,141
12	हिमाचल प्रदेश	8,30,495
13	जम्मू और कश्मीर	8,80,247
14	झारखंड	19,83,858
15	कर्नाटक	43,95,092
16	केरल	28,78,013
17	लद्दाख	18,400
18	लक्षद्वीप	2,303
19	मध्य प्रदेश	83,33,799
20	महाराष्ट्र	92,60,727
21	मणिपुर	85,965
22	मेघालय	1,82,513
23	मिजोरम	1,23,524
24	नागालैंड	1,85,868
25	ओडिशा	34,92,835
26	पुदुचेरी	8,032
27	पंजाब	10,23,521
28	राजस्थान	73,06,768
29	सिक्किम	30,515
30	तमिलनाडु	22,50,180
31	तेलंगाना	31,06,592
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,691
33	त्रिपुरा	2,36,514
34	उतार प्रदेश	2,35,42,883
35	उत्तराखंड	8,20,368
36	पश्चिम बंगाल	45,55,495
	कुल योग	**9,88,42,900**

*****